राज पंचायत प्रकाशन जयपुर-3

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजि. पश्चिम स्थान जयपुर महानगर (द्वितीय)

महावीर सिंह व अन्य विरूद्ध नवीन ढाका व अन्य

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

वाद सं० 180/ सन् 2024

बनाम नवीन ढाका पुत्र [illegible] जाति चुनाव अधिकारी कुन्दन नगर वेलफेयर सोसाइटी

स्थान विला नम्बर 167, कुन्दन नगर विला, शेखावत मार्ग के पास कालवाड़ रोड, जयपुर राज०

वादी ने आपके विरुद्ध प्रतिवादीगण के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 06 माह 07 सन् 2024 को दिन में 10:30 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता० 11 माह 06 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायधीश

1. यदि आपको यह आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को हाजिर होने के लिये विवश करने के लिये और ऐसी कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, जिसे पेश कराने के लिये साक्षी से अपेक्षा करने का आपको अधिकार है, सम्मन इस न्यायालय में आवेदन करके आवश्यक खर्च की रकम जमा कराके ले सकते हैं।

2. यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं तो आपको चाहिए कि दावे के खर्च के साथ इस दावे का धन न्यायालय में जमा करावें जिससे कि किसी का निष्पादन स्वंय आपके या आपकी सम्पत्ति या दोनों के विरुद्ध न करना पड़े।

Scanned with CamScanner

सेवाम,

श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (पश्चिम)
जयपुर महानगर, द्वितीय

मूल दीवानी वाद संख्या /2024

1. श्री महावीर सिह शेखावत पुत्र श्री भंवर सिंह जी आयु ..... वर्ष निवासी विला नम्बर 84, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान।

2. श्री अशोक कुमार गोयल पुत्र श्री बनारसी लाल गोयल आयु ...... वर्ष निवासी विला नम्बर 155, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान।

3. श्री शुभम माथुर पुत्र श्री अखिलेश माथुर आयु ...... वर्ष निवासी विला नम्बर 116, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान।

4. श्री योगेश घीया पुत्र श्री विष्णू प्रसाद घीया आयु ..... वर्ष निवासी विला नम्बर 10, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान।

5. श्रीमती सुमन चोटिया पत्नी श्री अशोक कुमार चोटिया आयु ..... वर्ष निवासी विला नम्बर 70, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान।

6. श्री संदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री धरमपाल अग्रवाल आयु 49 वर्ष निवासी विला नम्बर 124, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान।

7. श्री वरूण बंब पुत्र श्री नवरतन बंब आयु ..... वर्ष निवासी विला नम्बर 81, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान।

.............वादीगण

बनाम

1. श्री नवीन ढाका, मुख्य चुनाव अधिकारी, कृष्णा कुंज वेलफेयर सोसाईटी पता विला नम्बर– 167, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग के पास, कालवाड रोड, जयपुर, राजस्थान। पिन–302012

2. श्री कृष्ण लाल शर्मा, चुनाव अधिकारी, कृष्णा कुंज वेलफेयर सोसाईटी पता विला नम्बर– 119, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग के पास, कालवाड रोड, जयपुर, राजस्थान।

3. श्री प्रवीण बागडी, चुनाव अधिकारी, कृष्णा कुंज वेलफेयर सोसाईटी पता विला नम्बर– 181, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग के पास, कालवाड रोड,

Scanned with CamScanner

जयपुर, राजस्थान।

4. श्री जगदीश चौधरी अध्यक्ष कुष्णा कुंज वेलफेयर सोसाईटी आयु 45 वर्ष पता विला नम्बर–71, 72, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग के पास, कालवाड रोड, जयपुर, राजस्थान।

5. श्री रजनीकांत जांगिड (सचिव) कुष्णा कुंज वेलफेयर सोसाईटी आयु 45 वर्ष पता विला नम्बर–60 कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग के पास, कालवाड रोड, जयपुर, राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

वादीगण कि ओर से यह वादपत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है–

1. यह कि ग्राम गोकुलपुरा, शेखावत मार्ग के पास, कालवाड रोड, जयपुर मे कृष्णा कुंज विलाज के नाम से एक आवासीय योजना है, जिसमे विभिन्न साईज के तकरीबन 195 दो मंजिल वाले मकान (विला) बने हुऐ है, उक्त कृष्णा कुंज विलाज मे वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य के मकान स्थित है।

2. यह कि उक्त कॉलोनी की मेन्टीनेंस के लिए कॉलोनी के निवासियों ने कृष्णा कुंज वेलफेयर सोसाईटी के नाम से एक संस्था बना रखी है जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रार सोसाईटीज, जयपुर के यहां करवा रखा है जिसका पंजीकरण संख्या COOP/2020/JAIPUR/201120 है, वादीगण ने 100/– रूपये का सदस्यता शुल्क जमा करवाकर नियमानुसार उक्त सोसाईटी की सदस्या प्राप्त की है ओर वर्तमान मे वादीगण उक्त संस्था के सदस्य है तथा वादपत्र के उनवान मे दर्ज अपनी–अपनी विला मे अपने परिवार सहित निवास कर रहे है।

3. यह कि उक्त सोसाईटी के द्विवार्षिक चुनाव सत्र 2024–26 दिनांक 26.05.24 को प्रस्तावित थे जिसमे चुनाव करवाने हेतु पुर्व अध्यक्ष जगदीश चौधरी व रमाकांत जांगिड ने अपने चहेते नवीन ढाका को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया है। जिन्होने चुनाव कार्यक्रम तय कर निम्न पदो के लिए आवेदन मांगे थे–

(1) अध्यक्ष एक पद (2) उपाध्यक्ष एक पद (3) सचिव एक पद (4) कोषाध्यक्ष एक पद (5) सदस्य एक पद (6) सदस्य एक पद (7) सदस्य एक पद जिस पर चुनाव समिति द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार उक्त पदो के लिए निम्न लिखित व्यक्तियों ने उनके नाम के सामने दर्ज पदो के लिए आवेदन किया है–

अध्यक्ष एक पद	(1) श्री महावीर सिंह शेखावत (2) श्री जगदीश चौधरी
उपाध्यक्ष एक पद	(1) श्री अशोक कुमार गोयल (2) श्री रजनीकांत जांगिड
सचिव एक पद	(1) श्री शुभम माथुर (2) श्री राजीव कुमार
कोषाध्यक्ष एक पद	(1) श्री योगेश घीया (2) श्री रामगोपाल बिहानी
सदस्य एक पद	(1) श्रीमती सुमन चोटिया (2) श्री राम सिंह शेखावत
सदस्य एक पद	(1) श्री संदीप कुमार अग्रवाल (2) श्रीमती राजेश माथुर
सदस्य एक पद	(1) श्री वरूण बम्ब (2) श्रीमती वर्षा अवस्थी

Scanned with CamScanner

4. यह कि मुख्य चुनाव अधिकारी श्री नवीन ढाका की अध्यक्षता वाली चुनाव समिति ने उक्त सभी आवेदकों के आवेदन पत्र सही घोषित कर दिये है। जबकि चुनाव समिति द्वारा जारी कृष्णा कुंज वेलफेयर सोसाईटी के आम चुनाव हेतु सूचना एवं नियम, पत्र दिनांक 05.05.2024 के नियम संख्या 7 के मुताबिक "चुनाव में प्रत्याशी केवल सोसाईटी सदस्य ही हो सकते है" सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट व राजस्थान अपार्टमेन्ट ऑनर मॉडल बाईलॉज 2020 के अनुसार भी केवल सदस्य ही चुनाव लड सकते है, राजस्थान अपार्टमेन्ट ऑनर मॉडल बाईलॉज 2020 की धारा 5 के नियम (ए) के मुताबित सभी अपार्टमेनट ऑनर्स को 100 रूपये का सदस्यता शुल्क जमा करवाकर सोसाईटी की सदस्यता लेना अनिवार्य है ओर उक्त ओपचारिकता पूरी किये बिना कोई भी व्यक्ति वेलफेयर सोसाईटी का सदस्य नहीं बन सकता है। सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट मे भी यही व्यवस्था दी गई है।

5. यह कि उक्त पैरा 3 मे अंकित उम्मीद्वारों मे से श्री जगदीश चौधरी, श्री रजनीकांत जांगिड, श्री राजीव कुमार, श्री रामगोपाल बियानी, श्री राम सिंह शेखावत, श्रीमती राजेश माथुर, श्रीमती वर्षा अवस्थी ने नामांकन भरने की दिनांक तक 100/– रूपये का सदस्यता शुल्क जमा करवाकर उक्त कृष्णा कुंज वेलफेयर सोसाईटी की सदस्यता प्राप्त नहीं की है, इसलिये उक्त व्यक्ति नियमानुसार उक्त समिति के सदस्य नहीं है फिर भी उनके आवेदनों को सही घोषित किया गया था जो सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट व राजस्थान अपार्टमेन्ट ऑनर मॉडल बाईलॉज 2020 तथा चुनाव समिति द्वारा जारी पत्र दिनांक 05.05. 2024 के नियम संख्या 7 का खुला उल्लंघन है।

6. यह कि मुख्य चुनाव अधिकारी श्री नवीन ढाका को चुनाव करवाने का कोई अनुभव नहीं है जब उक्त अनियमितताओं की शिकायत उन्हे की गई तो उन्होने इस बात को पहले तो कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब उन्हे प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता द्वारा विधिक नोटिस भिजवाकर नोटिस प्राप्ती के 3 दिवस के भीतर उक्त श्री जगदीश चौधरी, श्री रजनीकांत जांगिड, श्री राजीव कुमार, श्री रामगोपाल बियानी, श्री राम सिंह शेखावत, श्रीमती राजेश माथुर, एवं श्रीमती वर्षा अवस्थी के आवेदनों को निरस्त कर शेष उम्मीद्वरों की लिस्ट जारी करने को कहा गया तो, उन्हाने आनन–फानन मे अध्यक्ष श्री जगदीश चौधरी, सचिव श्री रजनीकांत जांगिड के प्रभाव मे आकर अयोग्य उम्मीद्वारों के नामांकन पत्र रद्द कर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने के बजाय, प्रस्तावित चुनाव ही स्थगित कर दिये ताकि पूनः चुनाव करवाया जाकर उक्त अयोग्य उम्मीद्वारों को सदस्यता दिलवाई जाकर पुनः चुनाव करवाकर उक्त त्रूटि को दूर किया जा सके, ओर अयोग्य व्यक्तियों को निर्वाचित करवाया जा सके।

7. यह कि मुख्य चुनाव अधिकारी ने नियम विरूद्व रूप से अयोग्य व्यक्तियों के आवेदन रदद करने के बजाय चुनाव को ही स्थगित कर लोकतंत्र का गला घोंट दिया है ओर अयोग्य उम्मीद्वारों को अनुचित लाभ पहूँचाया है, मुख्य चुनाव अधिकारी को चाहिये था कि वो नियमानुसार प्रार्थीगण द्वारा की गई आपत्ती की सुनवाई कर उसका निर्णय करते ओर नियमानुसार फैसला कर चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करते लेकिन उन्होने अयोग्य उम्मीद्वारों को लाभ पहूँचाने के लिए चुनाव ही स्थगित कर दिया है।

8. यह कि वादीगण ने भी कृष्ण कुंज वेलफेयर सोसाईटी के चुनावों मे पैरा 3 मे वर्णित अनुसार पदो के लिए आवेदन किया था, ओर उन्हे पूरी उम्मीद थी कि यदि नियमानुसार चुनाव सम्पादित करवाये जाते तो वे सफलता को निश्चित

Scanned with CamScanner

ही प्राप्त करते लेकिन चुनाव अधिकारी के गलत तरीके से प्रतिवादीगण को लाभ पहूँवाने की गरज से चुनाव स्थगित कर दिये जाने के कारण वादीगण के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है जिसके लिए मुख्य चुनाव अधिकारी व चुनाव समिति जिम्मेदार है।

9. यह कि वाद हेतुक दिनांक 25.07.2024 को उस समय उत्पन्न हआ जब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने आम सूचना जारी कर कृष्ण कुंज वेलफेयर सोसाईटी के प्रस्तावित आम चुनाव 26.05.2024 को अवैध रूप से स्थगित कर दिया है तथा समिति की वर्तमान कार्यकारिणी को आम सभा कर चुनावों की नई तारीखें तय करने को निर्देशित कर दिया है।

10. यह की वाद की मालियत बगर्ज न्यायशुल्क 400/–चार सौ रूपये पर कायम की जाकर 10/–दस रूपये कोर्ट फीस पर दावा प्रस्तुत है।

11. यह कि वाद की विषय वस्तु व क्षेत्राधिकार के आधार पर माननीय न्यायालय को यह वाद सुनने व निर्णित करने के अखत्यारात हासिल है।

12. अतः वाद प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व व वादीगण के हक मे निम्न अनुतोष पारित किये जावे :–

(क) आज्ञप्ती बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाई जाकर चुनाव समिती कृष्ण कुंज वेलफेयर सोसाईटी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को निदेर्शित किया जावे की वो चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कर परिणम जारी करें।

(ख) प्रतिवादीगण जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वो कृष्ण कुंज वेलफेयर सोसाईटी के रिकार्ड मे किसी किस्म की कोई छेड–छाड नहीं करें ओर सफल घोषित हाने वाले उम्मीद्वारों को तुरन्त समिति का चार्ज सम्भला देवें।

(ग) वाद खर्च वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य दादरसी जो मुफीद हो, वादीगण के पक्ष मे पारित की जावे।

वादीगण

जयपुर
दिनांक

(श्री महावीर सिंह)

(श्री अशोक कुमार गोयल) (श्री शुभम माथुर) (श्री योगेश घीया)

(श्रीमती सुमन चोटिया) (श्री संदीप कुमार अग्रवाल) (श्री वरूण बंब)

Scanned with CamScanner

817 11/6/24

राज पंचायत प्रकाशन जयपुर-3

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम स्थान

महावीर सिंह व अन्य विरूद्ध नवीन [illegible] व अन्य

वाद/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना-पत्र संख्या 175 /2024 सन्

नाम नवीन [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible]

पता [illegible]

[illegible]

उक्त [illegible] ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 06 माह 07 सन् 2024 को 10:30 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज ता. 11 माह 06 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

दिनांक.................. न्यायालय

Scanned with CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन जयपुर-3

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजि. (पश्चिम) स्थान जयपुर महा. द्वितीय

महावीर सिंह व अन्य विरूद्ध नवीन ढाका व अन्य

वाद/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना-पत्र संख्या 175 सन् /2024

नाम नवीन ढाका मुख्य चुनाव अधिकारी कृष्णा कुंज वेलफेयर सोसायटी (पुत्र) जाति

पता विला न. 167 कृष्णा कुंज विलास शेखावत मार्ग ... कालवाड़ रोड जयपुर राज.

उक्त प्रति सोसायटी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 06 माह 07 सन् 2024 को 10:30 AM पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज ता. 11 माह 06 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

रीडर
सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट
(पश्चिम) जयपुर महानगर न्यायालय

दिनांक.............

Scanned with CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन जयपुर-3

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-4 स्थान जयपुर महानगर द्वितीय

महावीर सिंह व अन्य विरूद्ध नवीन शर्मा व अन्य

....

वाद/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना-पत्र संख्या 175 सन् /2024

नाम श्री कृष्ण लाल शर्मा पुत्र चुनाव अधिकारी कृष्णा कुंज विकास परिषद जाति

पता विला नम्बर 119, कृष्णा कुंज विस्तार, शेखावत मार्ग रेनवाल, झालावाड़ रोड, जयपुर (राज)

उक्त प्रति प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि

....

अत: आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 06 माह 07 सन्2024 को 10:30 AM पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज ता. 11 माह 06 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

दिनांक..................

रीडर

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायालय मजिस्ट्रेट

(क्रम-4) जयपुर महानगर-द्वितीय

Scanned with CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन जयपुर-3

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट पश्चिम स्थान

महावीर सिंह व अन्य विरूद्ध जीवाराम व अन्य

वाद/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना-पत्र संख्या 175/2024 सन्

नाम श्री प्रवीण मांगडी पुत्र चुनाव अधिकारी कृष्णा कुंज वेलफेयर सोसाइटी जाति

पता विला नं. 181 कृष्णा कुंज विस्तार, शेखावत मार्ग, पार्क

कालवाड़ रोड, जयपुर

उक्त प्रार्थी महावीर सिंह ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 06 माह 07 सन् 2024 को 10:30 AM पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज ता. 11 माह 06 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

दिनांक..................

रीडर

सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट

न्यायालय

(पश्चिम) जयपुर महानगर-द्वितीय

Scanned with CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन जयपुर-3

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजि. [illegible] स्थान [illegible]

महावीर सिंह व अन्य विरूद्ध नवीन शर्मा व अन्य

वाद/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना-पत्र संख्या 175/ सन् 24

नाम जगदीश चौधरी अध्यक्ष [illegible] पुत्र [illegible] जाति

पता [illegible] 71, 72 [illegible]

[illegible]

उक्त [illegible] ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 06 माह 07 सन् 2024 को 10:30 [illegible] पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज ता. 11 माह 06 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

रीडर

न्यायालय

दिनांक..................

राज पंचायत प्रकाशन जयपुर-3

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महा. नगर. प्रथम स्थान जयपुर महानगर द्वितीय

महावीर सिंह व अन्य विरूद्ध नवीन ढाका व अन्य

वाद/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना-पत्र संख्या 175 / 2024 सन्

नाम [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible]

पता प्लॉट नं. 60, कृष्णा कुंज विलास, शेखावत मार्ग पार्क कालवाड़ रोड, जयपुर राज.

उक्त प्रति [illegible] ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 06 माह 07 सन्2024 को 10:30 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आवेदन की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज ता. 11 माह 06 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

रीडर

सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जयपुर महा. न्यायालय

दिनांक............

सेवाम,

श्रीमान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (पश्चिम)
जयपुर महानगर, द्वितीय

वादपत्र
~~मूल दीवानी वाद~~ संख्या /2024

1. श्री महावीर सिह शेखावत पुत्र श्री भंवर सिंह जी आयु ..... वर्ष निवासी विला नम्बर 84, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान।

2. श्री अशोक कुमार गोयल पुत्र श्री बनारसी लाल गोयल आयु ..... वर्ष निवासी विला नम्बर 155, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान।

3. श्री शुभम माथुर पुत्र श्री अखिलेश माथुर आयु ..... वर्ष निवासी विला नम्बर 116, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान।

4. श्री योगेश घीया पुत्र श्री विष्णू प्रसाद घीया आयु ..... वर्ष निवासी विला नम्बर 10, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान।

5. श्रीमती सुमन चोटिया पत्नी श्री अशोक कुमार चोटिया आयु ..... वर्ष निवासी विला नम्बर 70, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान।

6. श्री संदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री धरमपाल अग्रवाल आयु 49 वर्ष निवासी विला नम्बर 124, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान।

7. श्री वरूण बंब पुत्र श्री नवरतन बंब आयु ..... वर्ष निवासी विला नम्बर 81, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान।

.....वादीगण / प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नवीन ढाका, मुख्य चुनाव अधिकारी, कुष्णा कुंज वेलफेयर सोसाईटी पता विला नम्बर– 167, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग के पास, कालवाड रोड, जयपुर, राजस्थान। पिन–302012

2. श्री कुष्ण लाल शर्मा, चुनाव अधिकारी, कुष्णा कुंज वेलफेयर सोसाईटी पता विला नम्बर– 119, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग के पास, कालवाड रोड,

Scanned with CamScanner

जयपुर, राजस्थान।

3. श्री प्रवीण बागडी, चुनाव अधिकारी, कुष्णा कुंज वेलफेयर सोसाईटी पता विला नम्बर– 181, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग के पास, कालवाड रोड, जयपुर, राजस्थान।

4. श्री जगदीश चौधरी अध्यक्ष कुष्णा कुंज वेलफेयर सोसाईटी आयु 45 वर्ष पता विला नम्बर–71, 72, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग के पास, कालवाड रोड, जयपुर, राजस्थान।

5. श्री रजनीकांत जांगिड (सचिव) कुष्णा कुंज वेलफेयर सोसाईटी आयु 45 वर्ष पता विला नम्बर–60 कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग के पास, कालवाड रोड, जयपुर, राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 39 नियम (1) व (2) सी.पी. सी सपठित धारा 151 सी.पी.सी</u>

वादीगण/प्रार्थीगण कि ओर से यह प्रार्थना–पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है–

1. यह कि प्रार्थीगण/वादीगण ने एक वादपत्र श्रीमान के समक्ष सुदृढ आधारों पर प्रस्तुत कर दिया हैं जिसमे सफलता की पूर्ण उम्मीद है।

2. यह कि ग्राम गोकुलपुरा, शेखावत मार्ग के पास, कालवाड रोड, जयपुर मे कृष्णा कुंज विलाज के नाम से एक आवासीय योजना है, जिसमे विभिन्न साईज के तकरीबन 195 दो मंजिल वाले मकान (विला) बने हुऐ है, उक्त कृष्णा कुंज विलाज मे प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य के मकान स्थित है।

3. यह कि उक्त कॉलोनी की मेन्टीनेंस के लिए कॉलोनी के निवासियों ने कृष्णा कुंज वेलफेयर सोसाईटी के नाम से एक संस्था बना रखी है जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रार सोसाईटीज, जयपुर के यहां करवा रखा है जिसका पंजीकरण संख्या COOP/2020/JAIPUR/201120 है, प्रार्थीगण ने 100/– रूपये का सदस्यता शुल्क जमा करवाकर नियमानुसार उक्त सोसाईटी की सदस्या प्राप्त की है ओर वर्तमान मे प्रार्थीगण उक्त संस्था के सदस्य है तथा प्रार्थना पत्र के उनवान मे दर्ज अपनी–अपनी विला मे अपने परिवार सहित निवास कर रहे है।

4. यह कि उक्त सोसाईटी के द्विवार्षिक चुनाव सत्र 2024–26 दिनांक 26.05.24 को प्रस्तावित थे जिसमे चुनाव करवाने हेतु पुर्व अध्यक्ष जगदीश चौधरी व रमाकांत जांगिड ने अपने चहेते नवीन ढाका को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया है। जिन्होने चुनाव कार्यक्रम तय कर निम्न पदो के लिए आवेदन मांगे थे–
(1) अध्यक्ष एक पद (2) उपाध्यक्ष एक पद (3) सचिव एक पद (4) कोषाध्यक्ष एक पद (5) सदस्य एक पद (6) सदस्य एक पद (7) सदस्य एक पद जिस पर चुनाव

Scanned with CamScanner

समिति द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार उक्त पदो के लिए निम्न लिखित व्यक्तियों ने उनके नाम के सामने दर्ज पदो के लिए आवेदन किया है–

अध्यक्ष एक पद	(1) श्री महावीर सिंह शेखावत (2) श्री जगदीश चौधरी
उपाध्यद्वा एक पद	(1) श्री अशोक कुमार गोयल (2) श्री रजनीकांत जांगिड
सचिव एक पद	(1) श्री शुभम माथुर (2) श्री राजीव कुमार
कोषाध्यक्ष एक पद	(1) श्री योगेश घीया (2) श्री रामगोपाल बिहानी
सदस्य एक पद	(1) श्रीमती सुमन चोटिया (2) श्री राम सिंह शेखावत
सदस्य एक पद	(1) श्री संदीप कुमार अग्रवाल (2) श्रीमती राजेश माथुर
सदस्य एक पद	(1) श्री बरूण बम्ब (2) श्रीमती वर्षा अवस्थी

5. यह कि मुख्य चुनाव अधिकारी श्री नवीन ढाका की अध्यक्षता वाली चुनाव समिति ने उक्त सभी आवेदकों के आवेदन पत्र सही घोषित कर दिये है। जबकि चुनाव समिति द्वारा जारी कृष्णा कुंज वेलफेयर सोसाईटी के आम चुनाव हेतु सूचना एवं नियम, पत्र दिनांक 05.05.2024 के नियम संख्या 7 के मुताबिक "चुनाव में प्रत्याशी केवल सोसाईटी सदस्य ही हो सकते है" सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट व राजस्थान अपार्टमेन्ट ऑनर मॉडल बाईलॉज 2020 के अनुसार भी केवल सदस्य ही चुनाव लड सकते है, राजस्थान अपार्टमेन्ट ऑनर मॉडल बाईलॉज 2020 की धारा 5 के नियम (ए) के मुताबित सभी अपार्टमेनट ऑनर्स को 100 रूपये का सदस्यता शुल्क जमा करवाकर सोसाईटी की सदस्यता लेना अनिवार्य है ओर उक्त ओपचारिकता पूरी किये बिना कोई भी व्यक्ति वेलफेयर सोसाईटी का सदस्य नहीं बन सकता है। सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट मे भी यही व्यवस्था दी गई है।

6. यह कि उक्त पैरा 3 मे अंकित उम्मीद्वारों मे से श्री जगदीश चौधरी, श्री रजनीकांत जांगिड, श्री राजीव कुमार, श्री रामगोपाल बियानी, श्री राम सिंह शेखावत, श्रीमती राजेश माथुर, श्रीमती वर्षा अवस्थी ने नामांकन भरने की दिनांक तक 100/– रूपये का सदस्यता शुल्क जमा करवाकर उक्त कृष्णा कुंज वेलफेयर सोसाईटी की सदस्यता प्राप्त नहीं की है, इसलिये उक्त व्यक्ति नियमानुसार उक्त समिति के सदस्य नहीं है फिर भी उनके आवेदनों को सही घोषित किया गया था जो सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट व राजस्थान अपार्टमेन्ट ऑनर मॉडल बाईलॉज 2020 तथा चुनाव समिति द्वारा जारी पत्र दिनांक 05.05.2024 के नियम संख्या 7 का खुला उल्लंघन है।

7. यह कि मुख्य चुनाव अधिकारी श्री नवीन ढाका को चुनाव करवाने का कोई अनुभव नहीं है जब उक्त अनियमितताओं की शिकायत उन्हे की गई तो उन्होने इस बात को पहले तो कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब उन्हे प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता द्वारा विधिक नोटिस भिजवाकर नोटिस प्राप्ती के 3 दिवस के भीतर उक्त श्री जगदीश चौधरी, श्री रजनीकांत जांगिड, श्री राजीव कुमार, श्री रामगोपाल बियानी, श्री राम सिंह शेखावत, श्रीमती राजेश माथुर, एवं श्रीमती वर्षा अवस्थी के आवेदनों को निरस्त कर शेष उम्मीद्वरों की लिस्ट जारी करने को कहा गया तो, उन्हाने आनन–फानन मे अध्यक्ष श्री जगदीश चौधरी, सचिव श्री रजनीकांत जांगिड के प्रभाव मे आकर अयोग्य उम्मीद्वारों के नामांकन पत्र रद्द कर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने के बजाय, प्रस्तावित चुनाव ही स्थगित कर दिये ताकि पूनः चुनाव करवाया जाकर उक्त अयोग्य उम्मीद्वारों को सदस्यता दिलवाई जाकर पुनः चुनाव करवाकर उक्त त्रूटि को दूर किया जा सके, ओर

Scanned with CamScanner

अयोग्य व्यक्तियों को निर्वाचित करवाया जा सके।

8. यह कि मुख्य चुनाव अधिकारी ने नियम विरूद्व रूप से अयोग्य व्यक्तियों के आवेदन रदद करने के बजाय चुनाव को ही स्थगित कर लोकतंत्र का गला घोंट दिया है ओर अयोग्य उम्मीद्वारों को अनुचित लाभ पहूँचाया है, मुख्य चुनाव अधिकारी को चाहिये था कि वो नियमानुसार प्रार्थीगण द्वारा की गई आपत्ती की सुनवाई कर उसका निर्णय करते ओर नियमानुसार फैसला कर चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करते लेकिन उन्होने अयोग्य उम्मीद्वारों को लाभ पहूँचाने के लिए चुनाव ही स्थगित कर दिया है।

9. यह कि प्रार्थीगण ने भी कृष्ण कुंज वेलफेयर सोसाईटी के चुनावों मे पैरा 4 मे वर्णित अनुसार पदो के लिए आवेदन किया था, ओर उन्हे पूरी उम्मीद थी कि यदि नियमानुसार चुनाव सम्पादित करवाये जाते तो वे सफलता को निश्चित ही प्राप्त करते लेकिन चुनाव अधिकारी के गलत तरीके से प्रतिवादीगण को लाभ पहूँचाने की गरज से चुनाव स्थगित कर दिये जाने के कारण वादीगण के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है जिसके लिए मुख्य चुनाव अधिकारी व चुनाव समिति जिम्मेदार है

10. यह कि प्रथम दृट्या मामला प्राथीगण के पक्ष मे बखूबी साबित है ओर सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मं है।

11. यह की यदि चुनाव प्रक्रिया को जारी नहीं रखा गया तो प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा ओर उन्हे ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई पैसों मे नहीं की जा सकती है।

12. यह कि वाद की विषय वस्तु व क्षेत्राधिकार के आधार पर माननीय न्यायालय को यह वाद सुनने व निर्णित करने के अखत्यारात हासिल है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को आज्ञापक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो कृष्ण कुंज वेलफेयर सोसाईटी के चुनाव की प्रक्रिया को जारी रखें, तथा प्रार्थीगण की आपत्ती का विधिपूर्ण निस्तारण करें, साथ ही अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो चुनाव प्रक्रिया मे किसी किस्म की कोई बाधा कारित नहीं करें।

जयपुर
दिनांक

प्रार्थीगण / वादीगण

(श्री महावीर सिंह)

(श्री अशोक कुमार गोयल) (श्री शुभम माथुर) (श्री योगेश घीया)

(श्रीमती सुमन चोटिया) (श्री संदीप कुमार अग्रवाल) (श्री वरूण बंब)

Scanned with CamScanner

सत्यापन

हम महावीर सिह शेखावत निवासी विला नम्बर 84, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान, शुभम माथुर निवासी विला नम्बर 116, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान एवं योगेश घीया निवासी विला नम्बर 10, कृष्णा कुंज विलाज, शेखावत मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान के रहने वाले तसदीक करते है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 12 मे अंकित तमाम तथ्य हमारी निजी जानकारी से सही व सत्य हैं व कानूनी मदात को मै अंकित तथ्यों को हम अपने विधिक सलाकार की सलाह से सही व सत्य होने का विश्वास करते है। ईश्वर हमारा साक्षी है।

जयपुर
दिनॉक

वादीगण/ प्रार्थीगण

(श्री महावीर सिंह)

(श्री अशोक कुमार गोयल) (श्री शुभम माथुर) (श्री योगेश घीया)

(श्रीमती सुमन चोटिया) (श्री संदीप कुमार अग्रवाल) (श्री वरूण बंब)

Scanned with CamScanner

8/1
11/6/24

9 की

राज पंचायत प्रकाशन जयपुर-3

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (पश्चिम) स्थान जयपुर महानगर प्रथम

महावीर सिंह व अन्य विरूद्ध नवीन ढाका व अन्य

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

वाद सं० 180 सन् 2024

बनाम .... पुत्र .... जाति ....

स्थान ....

.... ने आपके विरुद्ध .... के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 06 माह 07 सन् 2024 को दिन में 10:30 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता० 11 माह 06 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायधीश

1. यदि आपको यह आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को हाजिर होने के लिये विवश करने के लिये और ऐसी कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, जिसे पेश कराने के लिये साक्षी से अपेक्षा करने का आपको अधिकार है, सम्मन इस न्यायालय में आवेदन करके आवश्यक खर्च की रकम जमा कराके ले सकते हैं।

2. यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं तो आपको चाहिए कि दावे के खर्च के साथ इस दावे का धन न्यायालय में जमा करावें जिससे कि किसी का निष्पादन स्वंय आपके या आपकी सम्पत्ति या दोनों के विरुद्ध न करना पड़े।

Scanned with CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन जयपुर-3

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) स्थान जयपुर महानगर (द्वितीय)

महावीर सिंह व अन्य विरूद्ध नवीन टांक व अन्य

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

वाद सं0 190/ सन् 2024

बनाम जगदीश चौधरी, अध्यक्ष कृष्णा गृह निर्माण सहकारी समिति पुत्र .... जाति ....

स्थान विश्वकर्मा नगर, 71-72, कृष्णा गृह निर्माण, खोरावाला मार्ग प्रभात कालवाड़ रोड झोटवाड़ा, जयपुर राज.

वादी ने आपके विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 06 माह 07 सन् 2024 को दिन में 10:30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता0 11 माह 06 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

रीडर
न्यायधीश

1. यदि आपको यह आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को हाजिर होने के लिये विवश करने के लिये और ऐसी कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, साक्षी से अपेक्षा करने का आपको अधिकार है, सम्मन इस न्यायालय जिसे पेश कराने के लिये में आवेदन करके आवश्यक खर्च की रकम जमा कराके ले सकते हैं।
2. यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं तो आपको चाहिए कि दावे के खर्च के साथ इस दावे का धन न्यायालय में जमा करावें जिससे कि किसी का निष्पादन स्वंय आपके या आपकी सम्पत्ति या दोनों के विरुद्ध न करना पड़े।

Scanned with CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन जयपुर-3

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (पश्चिम) स्थान जयपुर महानगर (द्वितीय)

महावीर सिंह व अन्य विरूद्ध श्रीमती [illegible] व अन्य

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

वाद सं० 180/ सन् 2024

बनाम प्रवीण बागड़ी पुत्र [illegible] जाति [illegible]

स्थान विला नम्बर 181, कृष्णा कुंज विलास, [illegible] पार्क कालवाड़ रोड, जयपुर

वादी ने आपके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 06 माह 07 सन् 2024 को दिन में 10:30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता० 11 माह 06 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

सीजर

न्यायधीश

1. यदि आपको यह आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को हाजिर होने के लिये विवश करने के लिये और ऐसी कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, जिसे पेश कराने के लिये साक्षी से अपेक्षा करने का आपको अधिकार है, सम्मन इस न्यायालय में आवेदन करके आवश्यक खर्च की रकम जमा कराके ले सकते हैं।
2. यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं तो आपको चाहिए कि दावे के खर्च के साथ इस दावे का धन न्यायालय में जमा करावें जिससे कि किसी का निष्पादन स्वंय आपके या आपकी सम्पत्ति या दोनों के विरुद्ध न करना पड़े।

Scanned with CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन जयपुर-3

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (पश्चिम) स्थान जयपुर महानगर द्वितीय

महावीर सिंह व अन्य विरुद्ध नवीन ढ़ाका व अन्य

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

वाद सं0 180 / सन 2024

बनाम कृष्णलाल शर्मा पुत्र .... जाति पंजीयन अधिकारी कृष्णा कुंज वेलफेयर सोसायटी

स्थान निवास नम्बर 119, कृष्णा कुंज विस्तार, शेखावत मार्ग के पास, कालवाड़ रोड जयपुर

वादी ने आपके विरुद्ध प्रति संरक्षण के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 06 माह 07 सन् 2024 को दिन में 10:30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता0 11 माह 06 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

रीडर

न्यायाधीश

1. यदि आपको यह आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को हाजिर होने के लिये विवश करने के लिये और ऐसी कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, जिसे पेश कराने के लिये साक्षी से अपेक्षा करने का आपको अधिकार है, सम्मन इस न्यायालय में आवेदन करके आवश्यक खर्चे की रकम जमा कराके ले सकते हैं।
2. यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं तो आपको चाहिए कि दावे के खर्च के साथ इस दावे का धन न्यायालय में जमा करावें जिससे कि किसी का निष्पादन स्वंय आपके या आपकी सम्पत्ति या दोनों के विरुद्ध न करना पड़े।

Scanned with CamScanner